भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 831
सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

स्थानीय युवाओं को आरक्षण

831. **श्री संजय भाटिया:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को आरक्षण प्रदान करने का विचार है, जिससे राज्य/जिला स्तर पर बेरोजगारी के स्तर में कमी आएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड द्वारा घोषित नौकरी आरक्षण विधेयक अथवा मूल निवास कानून के प्रावधानों के तर्ज पर नौकरियों में आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) एवं (घ): सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। रोजगारों में आरक्षण, सरकार की आरक्षण नीति और समय-समय पर बनाए गए नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

*****